



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092021-229500
CG-DL-E-08092021-229500

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 2021/भाद्र 17, 1943

No. 384]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2021/BHADRA 17, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2021

फा. सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/1-टी4एससीजीडी/(1)/2021 (पी-3369).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008 को और आगे संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: —

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

- (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2021 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008 में, -

(i) अनुबंध-II में, "मापन (मीटरिंग) उपकरण" शीर्षक के अन्तर्गत, "ISO 17089-2..." प्रविष्टि से शुरू होने वाले अक्षरों और नंबरों और "... औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए मीटर", से समाप्त होने वाले शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: -

"एजीए रिपोर्ट संख्या 11 एपीआई एमपीएमएस अध्याय 14.9: कोरिओलिस मीटर द्वारा प्राकृतिक गैस का माप;

आईएस 15672: कोरिओलिस मीटरों द्वारा प्राकृतिक गैस और तरल पदार्थों का प्रवाह माप;

आईएसओ 10790: बंद वाहकनाल में द्रव प्रवाह का माप- कोरिओलिस फ्लोमीटर (द्रव्यमान प्रवाह, घनत्व और मात्रा प्रवाह माप) के चयन, संस्थापन और उपयोग के लिए मार्गदर्शन।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./247/2021-22]

पाद टिप्पणी: मूल विनियमों को जी.एस.आर. 612 (अ), दिनांक 27 अगस्त, 2008 द्वारा अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात् जीएसआर 750 (अ), दिनांक 14.10.2009 और फा.संख्या एम(1)/टी4एस/सीजीडी/1/2010, दिनांक 16.12.2014 और फा. संख्या एल-विविध/VII/2007, दिनांक 01.01.2015 और फा. संख्या एम(1)/टी4एस/सीजीडी/1/2010, दिनांक 09.03.2016 और फा. संख्या एम(1)/टी4एस/सीजीडी/1/2010, दिनांक 24.11.2016 और फा. संख्या पीएनजीआरबी/तकनीकी/1-टी4एससीजीडी/(1)/2019, दिनांक 07.11.2019 और फा. संख्या पीएनजीआरबी/प्राधिकरण/1-सीजीडी(06)/2020, दिनांक 30.06.2020 और फा. सं. पीएनजीआरबी/ तकनीकी/1-टी4एससीजीडी/(1)/2020, दिनांक 15.09.2020 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2021

F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2021 (P-3369).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely:—

1. Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, -
- (i) in Annexure-II, under the heading “Metering Equipment”, after the entry beginning with the letters and numbers, “ISO 17089-2...” and ending with the words “.... industrial applications”, the following entries shall be inserted, namely: -
- “AGA Report No. 11 API MPMS Chapter 14.9: Measurement of Natural Gas by Coriolis Meter;
- IS 15672: Flow measurement of natural gas and fluids by Coriolis Meters;
- ISO 10790: Measurement of fluid flow in closed conduits- Guidance to the selection, installation and use of Coriolis flowmeters (mass flow, density and volume flow measurements).”

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./247/2021-22]

Foot Note: The Principal regulations were notified vide G.S.R. 612(E), dated 27.08.2008, and subsequently amended vide G.S.R. 750(E), dated 14.10.2009 and F. No. M(I)/T4S/CGD/1/2010, dated 16-12-2014 and F. No. L-MISC/VI/I/2007, dated 01.01.2015 and F. No. M(I)/T4S/CGD/1/2010, dated 09.03.2016 and F.No. M(I)/T4S/ CGD/1/2010, dated 24.11.2016 and F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(1)/2019, dated 07.11.2019 and F. No. PNGRB/Auth/1-CGD(06)/2020, dated 30.06.2020 and F. No. PNGRB/ Tech/1-T4SCGD/(1)/2020, dated 15.09.2020.